FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ........ मुकाम ........

राणाराम पर्गोरा बनाम लिछमणाराम पर्गोरा

किस्म मुकदमा रा० वाद 88,188,92 RTAct नं. 25/19 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/02/19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम रमाणा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188,92 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/03/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | 112 / 19/03/19 |
| 26/03/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 20/05/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 20/05/19 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल रुजु तामिल अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी ~~व्यस्त~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 04/09/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 04/09/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 24/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

पेश हुक्म 03/03/2020

24/12/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील होकर तामील नियामत। नीमाराम पीपाड़ीवाल आदेशानुसार तकरार के पक्षकार हुए हैं। अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 30/12/19 को पेश हो।

30/12/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 5 व 7 से 18 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त तथा प्रतिवादी संख्या-6 के सम्मन पर फौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 से 5 व 7 से 17 बावजूद तामील गैरहाजिर/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-1 से 5 व 7 से 17 कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील प्रतिवादी संख्या 6 के कायम मुकाम मय संशोधित शीर्षक तथा कायम मुकाम के सम्मन पेश करे। पेश होने पर पत्रावली दिनांक 03/02/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

03/02/2020 वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-6 की फौती सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाकर संशोधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-6 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री रिजवान सिपाही द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते एकतरफा कार्यवाही मंसूख करने बाबत अन्तर्गत O-9, R-7 CPC प्रस्तुत किया गया जिसे वादी वकील द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही दिनांक 30/12/19 को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-6 के कायम मुकाम की ओर से उनके अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं जिनका जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03/03/2020 | वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। वादी, वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-2 स्वयं PW-1- सवाईराम पुत्र श्री लिछमणाराम जाति-जाट निवासी- चोराणियां, शहर तहसील- गिड़ा PW-2- अचलाराम पुत्र श्री खेताराम जाति-जाट निवासी- डगरोणियों की ढाणी तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1- लिछमणाराम पुत्र श्री प्रहलादराम जाति-जाट निवासी- डगरोणियों की ढाणी तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी व प्रतिवादी साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (SDO) ... | सवाईराम<br>बा.नि. लिछमणाराम<br>बा.नि. अचलाराम |
| 18/03/2020 | वादी वकील उपस्थित। वादी वकील बहस आईन्दा करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/05/2020 को पेश हो। | |
| 11/05/2020 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन अनु0 कोविड-2019 के चलते कोई नहीं आया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/06/2020 को पेश हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | हुक्म ... में जारी हुक्म |
|---|---|---|
| 10/06/2020 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 पूर्व से इकतरफा है। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 से 16 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है। व हिन्दू विधि से शासित है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के जांयदा पुत्र है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 से 16 एक ही पूर्वज गिरधारी के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 से 16 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा- डेरली नाडी पटवार मण्डल- प्रीनियों का तला तहसील-गिड़ा में खसरा नम्बर-449 रकबा-305 बीघा, मौजा-चौरालिया पटवार मण्डल-शहर तहसील-गिड़ा में खेत खसरा नम्बर-285 रकबा-331.05 बीघा तथा मौजा-उगरोणियों की ढाणी पटवार मण्डल-शहर तहसील-गिड़ा में खसरा नम्बर-252 रकबा-98.09 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा प्रहलाद व उनके भाईयों के खातेदारी की थी तथा प्रहलाद व उनके भाईयों के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा प्रहलाद की मृत्यु होने पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या-1 व उसके भाई के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुवे तथा इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 को उक्त भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आने के कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया है। कि वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या-1 को अपने पिता स्व॰ प्रहलादराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। तथा जो प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वर्तमान में प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में 1/12 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का समान 1/4-1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/48-1/48 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप वादीगण विवादित भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/48-1/48 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिस हेतु वादीगण द्वारा यह घोषणात्मक वाद ... | प्र.स. 6 के अधम मुकाम व जवाब पेश नहीं करना चाहते है। (वकील प्रतिवादी) |

सहायक कलक्टर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | किया है।<br>वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर वादीगण प्रत्येक का उक्त विवादित भूमि में 1/48-1/48 हिस्सा होना स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या-6 फौत जिनके कायम मुकाम की ओर से वकील श्री शिवाराम सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-6 के कायम मुकाम की ओर से उनके वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते है जिनका जवाब बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में PW-1, PW-2 व PW-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ-पत्रों में भी उक्त विवादित आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/48-1/48 हिस्सा खातेदारी का होना बताया गया।<br>हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/48-1/48 हिस्सा खातेदारी का बनना साबित होता है।<br>अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-केरली नाडी पटवार मण्डल ग्रनियों का तला तहसील-गिड़ा में स्थित खसरा नम्बर-449 रकबा-305 बीघा, मौजा-चौरालिया पटवार मण्डल ... तहसील गिड़ा में खसरा नम्बर-285 रकबा-331.05 बीघा तथा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | मौजा - ढगरोठियों की ढाणी पटवार मण्डल - बाहर तहसील - गिड़ा के खसरा नम्बर - 252 रकबा - 98.09 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या - 1 के 1/12 हिस्से की भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/48 - 1/48 हिस्से की भूमि का खातेदार आसामी घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर) व्यास<br>सहायक कलक्टर (SDO) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

अन्तिम

# डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

इजलास श्री विवेक व्यास RAS, रानाराम कोरा बनाम सिद्धमणाराम कोरा

दावा बाबत रा०का०- 88, 188, 92 RTAct

मुकदमा नं. 25/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री घमण्डाराम सारण एड० मिनजानिब मुदई व श्री खेताराम जाखड़ श्री रिणछाराम सियाग एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- डेरली नाडी पटवार मण्डल- ढ़नियों का तला तहसील- गिड़ा में खेत खसरा नम्बर- 449 रकबा- 305 बीघा मौजा- चौरालिया पटवार मण्डल- बाटड़ तहसील- गिड़ा में खसरा नम्बर- 285 रकबा- 331.05 बीघा तथा मौजा- करोणियों की ढाणी पटवार मण्डल- बाटड़ तहसील- गिड़ा में खसरा नम्बर- 252 रकबा- 98.09 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या- 1 के 1/12 हिस्से की भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/48-1/48 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।

कौम ....... मुबलिंग ....... बाबत् .......

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ....... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 06 2020 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]
सहायक कलक्टर (SDO)

ओहदा .......

मुहर

| मुदई | रूपया | पै. | मुदई | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अजीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीशनर<br>बाबत इजराल हुकमनामा<br>मुतफरिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील पर<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीशनर<br>बाबत इजराज हुकमनामा<br>मुतफरिक | | |
| | | | मीजाना | | |
| मीजान | | | | | |

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया ... हो ... नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान

सेवामें,

वादीगण

1. राणाराम पुत्र लिछमणाराम
2. सवाईराम पुत्र लिछमणाराम
3. बाबूलाल पुत्र लिछमणाराम
जाति-जाट निवासी-चौराणियों, शहर तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लिछमणाराम पुत्र प्रहलादराम
2. हरलाल पुत्र प्रहलादराम
3. मानाराम पुत्र पदमाराम
4. किशनाराम पुत्र पदमाराम
5. छिमुरी पत्नी पदमाराम
6. खेमाराम पुत्र चुतराराम फोत है कायम मुकाम
6/1. लालाराम पुत्र खेमाराम फोत है कायम मुकाम
6/1/1. बाबूलाल पुत्र लालाराम
6/1/2. नन्दराम पुत्र लालाराम
6/1/3. हरख्याराम पुत्र लालाराम
6/1/4. कपीलदेव पुत्र लालाराम
6/1/5. तुलसीदेवी पत्नी लालाराम
6/2. भंवराराम पुत्र खेमाराम
7. रूगाराम पुत्र हरजीराम
8. बाबूराम पुत्र अमराराम
9. धुनीदेवी पत्नी अमराराम
10. पूनमाराम पुत्र भैराराम
11. गेनाराम पुत्र भैराराम
12. मुकनाराम पुत्र भैराराम
13. जवरी देवी पत्नी भैराराम
14. रावताराम पुत्र घमण्डाराम
15. अचलाराम पुत्र घमण्डाराम
16. डीपोदेवी पत्नी घमण्डाराम
जातियान-जाट नि०-डारोणियों की ढाणी, शहर तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर
17. प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह
18. तहसीलदार गिड़ा

(SDO)

सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:08:24 IST
Reason: SelfAttested